

**निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित**

प्रकरण संख्या :-165 / 2020  
दायरा दिनांक :-24.10.2020  
निर्णय दिनांक :- 30.12.2022

**उनवान**

चन्द्रकान्ति बाई पत्नी श्री स्व० कल्याण पुत्री स्व० जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी माथनी तहसील बारां हाल मु० शीतला चौक खानपुर जिला झालावाड़ राज० -प्रार्थीया/वादीया

**बनाम**


1. चौथमलपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
2. नवलबाई पुत्री जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
3. प्रभूलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
4. मांगीलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०) -प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 90 आर० टी० एक्ट**

निर्णय दिनांक :- 30.12.2022

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर एड०- वादी  
2. श्री गजेन्द्र कुमार नागर एड०- प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 90 आर० टी० एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया/वादीया के शामिलती खाते कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी खसरा नं० 708 रकबा 0.02 हे० खेडा, खसरा नं० 709 रकबा 0.09 हे०, खसरा नं० 712 रकबा 0.16 हे०, खसरा नं० 713 रकबा 0.10 हे० कुल किता 04 कुल रकबा 0.37 हे० वाके माल माथनी पटवार हल्का माथना तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीया/वादीया का 1/5 हिस्सा निहित है। जिस पर प्रार्थीया/वादीया का बिज कास्त चली आ रही है। लेकिन सहवन से खाता सं० नया 140 पुराना 96 में काश्तकार का नाम क्रम 1 पर खातेदार के नाम में कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि चन्द्रकान्ति बाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिए था। खातेदार का नाम कान्तिबाई गलत है। खातेदार वास्तविक नाम चन्द्रकान्ति बाई है। परिचय पत्र आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादी दस्तावेजों में भी नाम चन्द्रकान्ति बाई है। जो वर्तमान में सभी दस्तावेजों में कायम है। उक्त गलती सहवन से खाते में कायम चली आ रही है।

  
**उपखण्ड अधिकारी  
बारां**

प्रार्थीया/वादीया जमाबंदी में गलत नाम के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ से भी वंचित होती रही है। जो वर्तमान में भी बदस्तूर चला आ रहा है। वादी द्वारा त्रुटि को दुरुस्त करने हेतु कई मर्तबा राजस्व कर्मचारियों का मौखिक व लिखित निवेदन किया लेकिन आज तक वादी की त्रुटि खाते में सही नहीं की गई है। वादी के खाते में कान्तिबाई के स्थान पर चन्द्रकान्ति बाई नाम का अंकन कर पूर्व त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया/वादीया के खाते की त्रुटि को सही करवाने के लिए गत राजस्व कैम्प इकलेरा में भी आवेदन पेश किया गया था। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आप न्यायालय में आकर वाद पेश कर देना। वाद में बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खाते की त्रुटि कान्तिबाई के स्थान सही नाम चन्द्रकान्ति बाई के खाते में अंकन कर दिया जावेगा। प्रार्थीया/वादीया को वर्तमान में सरकारी क्रेडिट कार्ड बनवाने की सक्त आवश्यकता है। इस कारण वाद का निस्तारण समय बद्ध रूप में किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया/वादीया का वाद स्वीकार कर वादीया के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं० 708 रकबा 0.02 हे० खेडा, खसरा नं० 709 रकबा 0.09 हे०, खसरा नं० 712 रकबा 0.16 हे०, खसरा नं० 713 रकबा 0.10 हे० कुल किता 04 कुल रकबा 0.37 हे० वाके माल माथनी पटवार हल्का माथना तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीया/वादीया का 1/5 हिस्स निहित है। जिस पर प्रार्थीया/वादीया काबिज काश्त चली आ रही है। लेकिन सहवन से खाता सं० नया 140 पुराना 96 में काश्तकार का नाम कम 1 पर खातेदार के नाम में कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि चन्द्रकान्ति बाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिये था को अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। सहखातेदारान का हक व हिस्सा यथावत रहे इसमें वादीया को कोई आपत्ति नहीं है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्जे समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 140, फोटोप्रति, प्रमाण पत्र, संरपच ग्राम पंचायत खानपुर दिनांक 17.12.2020 फोटोप्रति आधार कार्ड चन्द्रकान्ति बाई, फोटोप्रति जनआधार कार्ड चन्द्रकान्ति बाई, फोटोप्रति पेनकार्ड चन्द्रकान्ति बाई, फोटोप्रति राशनकार्ड चन्द्रकान्ति बाई पेश की गई। साक्ष्यवादी के पी.डब्ल्यू.1 चन्द्रकान्ति बाई का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकिल वादीया द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम माथनी तहसील बारां मे स्थित है, जिसमे प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा निहित है। वादीया का सहवन से खाते मे कान्तिबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि चन्द्रकान्ति बाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिये था। वादीया का सही नाम चन्द्रकान्ति बाई है। वादीया के परिचय पत्र,

॥

उपखण्ड अधिकारी  
बारां

(3)

आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजों में भी नाम चन्द्रकान्ति बाई है। जो सही है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में कान्तिबाई के स्थान पर चन्द्रकान्ति बाई दर्ज किया जावे।


बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई। प्रत्रावलीं एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 140, में वादीया का नाम कान्तिबाई दर्ज है। प्रस्तुत नकल, फोटोप्रति आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर के अनुसार चन्द्रकान्ति बाई दर्ज है। पेनकार्ड में चन्द्रकान्ति बाई दर्ज है। वादीया द्वारा मात्र जमाबन्दी की नकल पेश की है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड पेश नहीं किया। जिससे वादीया का नाम क्या था और कैसे गलत किया गया। वादीया द्वारा दावा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का किया है। धारा 88,89,90 आर0टी0 एक्ट के तहत नाम दुरुस्त नहीं किया जाता है। खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

### क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद सारहीन होने से खारिज

किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर सर्वे न्यायालय सुनाया गया।

  
(दिवांशु शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी बा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)  
डिक्री**

वाद संख्या 165/2020	अन्तर्गत 88, 89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक- 30.12.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषकवादी- श्री बालमुकन्द गुर्जर		अभिभाषक प्रतिवादी- श्री गजेन्द्र कुमार नागर

**वाद शीर्षक**

**उनवान**

चन्द्रकान्ति बाई पत्नी श्री स्व0 कल्याण पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी माथनी तहसील बारां हाल मु0 शीतला चौक खानपुर जिला झालावाड राज0 -प्रार्थीया / वादीया

**बनाम**

1. चौथमलपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
2. नवलबाई पुत्री जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
3. प्रभूलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
4. मांगीलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) -प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

वादीया का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.12.2022 को निर्गत किया गया।



*(Signature)*  
**उपखण्ड अधिकारी  
बारां जिला बारां**

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( : )		
10.	योग		